

नगर निगम, उदयपुर

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/UDAIPUR/FIRENOC/2025-26/63404
जारी दिनांक: 04-FEB-2026 वैधता दिनांक: 03-FEB-2028

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: SR AMITHA MONTEIRO
आवेदक का पता: UDAIPUR BANSWARA HIGHWAY BETWEEN 7-8 KM.
TEETARDI UDAIPUR

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन STMARYS CONVENTS SCHOOL TEETARDI UDAIPUR RAJ, 0000, UDAIPUR BANSWARA HIGHWAY, TEETARDI, UDAIPUR, UDAIPUR, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्त:-

1. प्रतिवर्ष स्व-प्रमाणित प्रमाण-पत्र (100/- के स्टाम्प पर) ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा साथ ही प्रतिवर्ष स्थल का अग्निशमन विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा।
2. भवन के समस्त स्टाफ व सिक्स्योरिटी गार्ड्स को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
3. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
4. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
5. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
6. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने कि स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जाएगा।
7. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
8. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
9. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
10. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
11. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर कि उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
12. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
13. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
14. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रुफटॉप रेस्टोरेट के लिए मान्य नहीं हैं। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वहा पर रुफटॉप रेस्टोरेट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
15. इस स्थल पर हुक्का बार निषेध रहेगा जिसका मुख्य प्रवेश द्वार व सदृश्य स्थानों पर बोर्ड के रूप में प्रदर्शित किया जाना होगा।
16. उक्त शर्तों की अखिलाना करने या पाये जाने पर यह अनापत्ति-प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समा जावेगा तथा किसी भी प्रकार की अग्नि-दुर्घटना कारीत होती है तो अधिभोगी स्वयं जिम्मेदार रहेगा।



Principal
St. Mary's Convent Sr. Sec. School
Teetardi, Udaipur (Raj.)

Manager
St. Mary's Convent Sr. Sec. School
Teetardi, Udaipur (Raj.)

Signed by: Babu Lal
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: UDAIPUR, Rajasthan
Date: 04/02/2026 13:04:27

अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम, उदयपुर